भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA,
सीप्ज़- सेज़ प्राधिकरण/ SEEPZ SEZ AUTHORITY,
वणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400096
Tel: 022-28294770/28294750, Fax: 022-28291754
E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

******

सं.सीप्ज़-सेज़/संपदा/नॉमी/518/2016-17 | 22578 दिनांक 20 नवंबर, 2019

परिपत्र संख्या 05 दिनांक 20/11/2019

विषयः- सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाने के संबंध में।

सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास तथा अनुरक्षण के लिए शासी निकाय है। प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित 4 पदेन स्थायी सदस्य तथा व्यापार के 2 नामित सदस्य होते हैं। मौजूदा नामित सदस्यों की पदावधि दिनांक 12.4.2020 को समाप्त होने वाली है। अतएव, सीप्ज़-सेज़ में स्थित व्यापार से दो सदस्यों का नामांकन करके प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना है।

नामांकन के इच्छुक यूनिटधारक अपनी सहमति दिनांक 21.12.2019 तक अथवा इसके पूर्व भेज सकते हैं। कृपया यह ध्यान रहे कि तिमाही आधार पर प्राधिकरण की आयोजित की जाने वाली बैठकों में नामित सदस्यों का भाग लेना आवश्यक है जिसकी पूर्व सूचना उन्हें भेजी जाएगी।

यूनिटों के प्रबंध निदेशक/निदेशक (जो कंपनी के बोर्ड में हों) प्रबंध भागीदार तथा मालिक जो दिनांक 10.9.2014 के अनुदेश संख्या 82 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार मानदंड/पात्रता पूरे करते हों, ही उक्त नामांकन के पात्र होंगे। नामांकन का प्रत्यायोजन करने की अनुमति नहीं होगी। नामित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने निम्नलिखिति कारणों में से किसी एक होने के आधार पर उन्होंने सदस्यता छोड दी हैः-

(क) सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण से त्यागपत्र।
(ख) सदस्य की मृत्यु।
(ग) सदस्य द्वारा किसी ऐसे यूनिट का प्रतिनिधित्व करना जिसने सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को देयों के भुगतान में चूक की हो।
(घ) प्राधिकरण की लगातार तीन कार्यवाहियों में सदस्य का स्वयं भाग न लेना।
(ङ) राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी नियम का उल्लंघन करने के कारण किसी यूनिट का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई हो।
(च) ऐसा सदस्य जो ऐसे यूनिट जिसका प्रतिनिधित्व करता हो जो रूग्ण हो अथवा बंद हो अथवा लगातार छग अथवा इससे अधिक महीनों से निर्यात न करता हो।
(छ) उदयमि द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला ऐसा यूनिट जिसको जारी अनुमोदन पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा धोखाघडी, अन्यथा कथन आदि के कारण रद्द किया गया हो।

यूनिटधारकों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 23.12.2019 तक अथवा इसके पूर्व निर्धारित फॉर्मेट में (प्रतिलिपि संलग्न) अपनी सहमति एवं अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करें। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों/सहमति पत्रों पर नामांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(केशव जाधव)
सहायक विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

अनुलग्नकः यथोपरि